

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1421 / 2010 / भीलवाड़ा

मैसर्स डायनेमिक इन्जीनियर्स कंसल्टेन्ट्स, भीलवाड़ा।

...अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,

कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

### एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

#### उपस्थित ::

श्री एम.पी.शर्मा,

अधिवक्ता।

श्री अनिल पोखरणा,

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 21.04.2014

### निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील, उपायुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील्स), भीलवाड़ा (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 30.06.2010 के विरुद्ध पेश की गयी हैं, जो अपील संख्या—179 / आर.एस.टी. / 2008—09 के सम्बन्ध में हैं तथा जिसमें वाणिज्यिक कर अधिकारी, कार्य संविदा एवम् पट्टा कर, भीलवाड़ा (जिसे आगे “निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे “अधिनियम” कहा जायेगा) की धारा 29(6) सपष्टित राजस्थान विक्रय कर नियमों, 1995 के नियम 12(5) के तहत पारित निर्धारण आदेश दिनांक 30.08.2008 जो निर्धारण वर्ष 2005—06 (दिनांक 15.12.2005 से दिनांक 31.03.2006 तक) के लिये पारित किया गया है में ₹19,60,148/- व ₹44,22,389/- में से 25 प्रतिशत मजदूरी राशि अर्थात् ₹4,90,037/- व ₹11,05,598/- को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि ₹19,60,148/- व ₹44,22,389/- पर 2.2.5 व 3.00 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति निर्धारित कर, 2.25 व 3.00 प्रतिशत की दर से कायम कर मुक्ति ₹11,026/- व ₹331,68/- की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने व ई.सी.फीस के बिन्दु पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, उक्त बिन्दु पर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रतिप्रेषित किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी का निर्धारण वर्ष 2005—06 का मूल निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 29(6) के तहत दिनांक 30.08.2008 को पारित कर, अपीलार्थी व्यवहारी आलोच्य अवधि में संविदा कार्य से प्राप्त कुल राशि ₹19,60,148/- व ₹44,22,389/- में से 25 प्रतिशत मजदूरी राशि अर्थात् ₹4,90,037/- व ₹11,05,598/- को कम किये बिना सम्पूर्ण राशि ₹19,60,148/- व ₹44,22,389/- पर 2.2.5 व 3.00 प्रतिशत की दर से कर मुक्ति निर्धारित कर, 2.25 व 3.00 प्रतिशत की दर से कायम कर मुक्ति ₹11,026/- व ₹331,68/- निर्धारित कर आदेश दिनांक 30.08.2008 पारित

किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्राप्त कार्य आदेश के आधार पर 2.25 व 3 प्रतिशत की दर से मुक्ति शुल्क की देयता होने से निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्व में मुक्ति शुल्क 1.5 प्रतिशत निर्धारित करने सम्बन्धी जारी ई.सी.फीस को 2.25 व 3 प्रतिशत की दर से निर्धारित कर, आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को मुक्ति शुल्क भुगतान हेतु प्रस्तुत ऑटोमेटिक अण्डरटेकिंग के तहत प्राप्त कुल राशियों पर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण को उचित मानते हुये अस्वीकार कर दिया एवम् ई.सी.फीस के बिन्दु पर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त कर, उक्त बिन्दु पर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के जरिये प्रकरण को निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने लिखित बहस में अधिनियम कथन किया कि राज्य सरकार ने धारा 15 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 4(12)एफडी/टैक्स.डिवी/2001–25 दिनांक 29.03.2001 जारी की है जिसमें संविदा कार्य में प्रयुक्त माल को कर मुक्त करते हुये कार्य संविदा की प्रकृति के मददेनज़र, मुक्ति शुल्क निर्धारित किया है। अग्रिम कथन किया कि संविदा कार्य में निष्पादित माल के अतिरिक्त मजदूरी व अन्य खर्चें जिन पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कर देयता नहीं बनने के कारण, अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत जारी उक्त अधिसूचना के आलोक में 25 प्रतिशत खर्चों पर कर मुक्ति शुल्क निर्धारित नहीं किया जा सकता। अपने कथन के समर्थन में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (1999) 114 एस.टी.सी. 265 को संदर्भित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को इस बिन्दु पर पुष्टि करने को अपास्त कर, अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी संकर्म संविदा कार्य करता है, तथा अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अजमेर द्वारा उसे अवार्ड किया गया "Electro-mechanical rehabilitation for Pumping station, Erection, testing and commissioning of pumping sets, mechanical works at pumping station. Construction of CWR, pump house, store building, quarters including supply, installation, testing and commissioning of pumping machinery and electrical accessories." इस



पर 1.5 प्रतिशत की दर से ही ई.सी. फीस आरोपणीय है। तत्पश्चात् व्यवहारी का संविदा कार्य को तथ्यों के आधार पर बाद में राय परिवर्तन करते हुए निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिसूचना दिनांक 11.8.2006 के आलोक में उक्त को मुक्ति शुल्क 2.25 व 3.00 प्रतिशत की दर से कर योग्य होना अवधारित कर, मांग राशियां कायम की गयी जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है एवम् उक्त को अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त बिन्दु पर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना भी विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कायम कर मुक्ति ₹11,026/- व ₹331,68/- पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी की अपील उक्त बिन्दु पर अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

7. जहां तक ई.सी.के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, रिकॉर्ड पत्रावली के पृष्ठ संख्या 55 पर उपलब्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2012 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2010 के जरिये प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, जिसकी पालना में लायक निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 21.06.2012 को निर्देशानुसार रिकॉर्ड की पुनः जांच कर, प्रतिप्रेषित प्रकरण का निष्पादन कर दिया है। अतः विवादित अपीलीय आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत अपील “सारहीन” हो गयी है। अपने कथन के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:—

- (i) सहायक आयुक्त, हनुमानगढ़ बनाम् मोहित ट्रेडिंग, 25 टैक्स अपडेट 59 (राज.)
- (ii) सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै० केशरीलाल (1991) 9 आर.टी.जे.एस 8। (राज.)
- (iii) वाणिज्यिक कर अधिकारी, एन्टीइवेजन बनाम् विशाल ट्रेडिंग कं० (1997) 20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.)
- (iv) वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् अग्रवाल साल्ट कं०, 38 टैक्स वल्ड 16 (आर.टी.बी.)

8. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, उक्त बिन्दु पर बिना गुणावगुणों पर विचार किये प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

9. अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा ई.सी. फीस के बिन्दु पर प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के जवाब में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:—

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम् मै0 मेवाड़ वेल्डिंग वर्क्स 119  
एस.टी.सी. 576 | (राज.)

2. वा.क.आ. राजसमन्द बनाम् मै0 होनेस्टी आयरन एण्ड हार्डवेयर स्टोर,  
कांकरोली 25 आर.टी.जे.एस.79 | (आर.टी.टी.)

10. उपर्युक्त वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में,  
उक्त बिन्द पर प्रस्तुत अपील को गुणावगुणों पर निर्णित करने की प्रार्थना की  
गयी ।


11. उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया । रिकॉर्ड का परिशीलन किया  
गया एवम् माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टांत मैसर्स  
ग्राउन्डर एण्ड कं0 बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक व अन्य (1999) 114 एस.टी.सी.  
265 का ससम्मान अध्ययन कर विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया ।  
इस संबंध में विद्वान अभिभाषक द्वारा ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांत  
अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में इस प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं हैं  
क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(12)एफडी/टैक्स.  
डिवी/2001-25 दिनांक 29.03.2001 में जिन कार्य संविदाओं का उल्लेख सूची  
में किया जाकर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क जो विहित किया गया है, वह कुल  
कार्य संविदा मूल्य (Total value of work contract) पर है जबकि माननीय  
कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष विवादित बिन्दु कर्नाटक राज्य के विक्रय कर  
अधिनियम, 1957 की धारा 17(6) के प्रावधान जो दिनांक 01.04.1996 से पूर्व में  
विद्मान थे, का निर्वचन था, जिसमें सकल पण्यावर्त, जो कार्य संविदा निष्पादन  
के दौरान के वस्तुओं या अन्य रूप में माल सम्पत्ति के रूप में अन्तरित हुयी हो,  
का उल्लेख था, परन्तु राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर उद्धरित अधिसूचना  
दिनांक 29.03.2001 में विशेष रूप से कुल कार्य संविदा मूल्य (Total value of  
work contract) पर ऑटोमेटिक मुक्ति शुल्क की दर अधिसूचित की गयी है।  
अतः ऐसी स्थिति में, उद्धरित न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की मदद नहीं करता।  
लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश में  
विवादित बिन्दु की पुष्टि करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है।  
फलस्वरूप, उक्त बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती  
है।

12. जहां तक हस्तगत प्रकरण में ई.सी. के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा  
प्रकरण को प्रतिप्रेषित किये जाने का प्रश्न है, रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया  
एवम् माननीय न्यायालयों के ऊपर उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान  
अध्ययन यिका गया । अध्ययन करने के पश्चात् अधोहस्ताक्षरी के विनम्र मत में  
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के ऊपर उद्धरित हालिया न्यायिक दृष्टांत

25 टैक्स अपडेट 59, 9 आर.टी.जे.एस. 8 एवम् 20 टैक्स वल्ड 64 (आर.टी.टी.)  
तथा कर बोर्ड की समन्वय पीठ के उद्धरित निर्णय 38 टैक्स वल्ड 16 के  
निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में दिनांक 21.06.2012 को निर्धारण  
अधिकारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के निर्देशों की पालना में आदेश पारित किये  
जाने के फलस्वरूप प्रस्तुत अपील उक्त बिन्दु पर “सारहीन” हो गयी है। अतः  
उक्त बिन्दु पर भी प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

13. परिणामतः अपील अस्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

  
21-4-2014  
(मदन लाल)  
सदस्य